न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
138/19	08.11.2019	14/02/2020

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. दीपक गुप्ता आत्मज गिरिराज जाति महाजन खण्डेलवाल
2. गौरव गुप्ता आत्मज गिरिराज जाति महाजन खण्डेलवाल निवासीगण 456–ए, दादाबाडी, कोटा

– वादीगण

बनाम

1. गिरिराज आत्मज कन्हैयालाल जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी पुलिस लाईन, कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से
– श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में ख0नं0 698/2636 रकबा 9.13 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि के खातेदार जग मोहन पुत्र बालूराम थे जिन्होंनें उक्त भूमि में से उत्तर दिशा की ओर की 4.56 हे0 भूमि वादी नं0 1 को व दक्षिण दिशा की 4.57 हे0 भूमि वादी नं0 2 को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से दान कर दी और उसके आधार पर नामा0 सं0 2227 से उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो गयी। इसी प्रकार ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में ख0नं0 698 रकबा 9.35 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है जो प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज है। पूर्व में दोनों भूमियों का एक ही ख0नं0 था जो बाद में अलग–अलग दर्ज हुआ। पूर्व खातेदार जग मोहन द्वारा जिस भूमि पर काश्त की व्यवस्था करते चले आ रहे थे उसी भूमि पर वादीगण को मौके पर कब्जा दिया गया जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का जिस भूमि पर कब्जा है उसका ख0नं0 698 रकबा 9.13 हे0 है व प्रतिवादी नं0 1 का जिस भूमि पर कब्जा है उसका ख0नं0 698/2636 रकबा 9.35 हे0 है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज केवल ख0नं0 698/2636 को प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज कर खातेदार घोषित किये जाना व प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज केवल ख0नं0 698 को वादीगण के खातें दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त ख0नं0 बदलनें से भूमि की स्थिति में व रकबा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाद

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

कारण विवादित भूमियों में 8 लेन रोड निकालनें हेतु मुड्डियां गाडनें पर उक्त ख0नं0 गलत दर्ज होनें की जानकारी होनें पर, प्रतिवादीगण द्वारा ख0नं0 अदला बदली करनें व दिनांक 06.11.2019 को प्रतिवादी नं0 2 द्वारा ख0नं0 की अदला बदली करनें हेतु दावा पेश करनें की हिदायत देनें पर पैदा हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की वादीगण के खातें दर्ज 9.13 हे0 भूमि का ख0नं0 698/2636 के स्थान पर ख0नं0 698 नम्बर दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज 9.35 हे0 भूमि का ख0नं0 698 के स्थान पर ख0नं0 698/2636 नम्बर दर्ज किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 को आदेश दिया जावें कि उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूसती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादीगण को प्रतिवादी से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सुल्तानपुर सं0 2071–74 खाता नं0 246
2. प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस ग्राम सुल्तानपुर ख0नं0 698
3. प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस ग्राम सुल्तानपुर ख0नं0 698/2636
4. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सुल्तानपुर सं0 2071–74 खाता नं0 168

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया तथा उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादीगण की पहचान वकील श्री रामप्रसाद शर्मा व प्रतिवादी नं0 1 की पहचान वकील श्री जितेन्द्र शर्मा द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2071–74 खाता नं0 246 के अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 698/2636 उत्तर रकबा 4.56 हे0 भूमि का दीपक गुप्ता पुत्र गिरिराज तथा ख0नं0 698/2636 दक्षिण रकबा 4.57 हे0 भूमि का गौरव गुप्ता पुत्र गिरिराज खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है तथा ख0नं0 698 रकबा 9.35 हे0

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

भूमि का गिरिराज पुत्र कन्हैयालाल खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उभयपक्ष नें प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर ग्राम सुल्तानपुर स्थित ख0नं0 698/2636 के स्थान पर ख0नं0 698 का वादीगण को खातेदार घोषित किये जानें में तथा ख0नं0 698/2636 का प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार घोषित किये जानें में सहमति व्यक्त की गई है। चूंकि दोनों खसरा नम्बरान का रकबा समान है तथा उभयपक्ष राजीनामा पर पूर्णरूप से सहमत है, जिससे वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 698 रकबा 9.35 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 698/2636 उत्तर रकबा 4.56 हे0, ख0नं0 698/2636 दक्षिण रकबा 4.57 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 14/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. दीपक गुप्ता आत्मज गिरिराज जाति महाजन खण्डेलवाल
2. गौरव गुप्ता आत्मज गिरिराज जाति महाजन खण्डेलवाल निवासीगण 456–ए, दादाबाडी, कोटा

– वादीगण

बनाम

1. गिरिराज आत्मज कन्हैयालाल जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी पुलिस लाईन, कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–138/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 698 रकबा 9.35 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 698/2636 उत्तर रकबा 4.56 हे0, ख0नं0 698/2636 दक्षिण रकबा 4.57 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।'' तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 14/02/2020 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner